डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 सितम्बर, 2019, डिस्पेच दिनांक 1 सितम्बर, 2019

| वर्ष 63 | अंक 07 | भोपाल | 1 सितम्बर, 2019 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

किसानों को बढ़ते उत्पादन की खपत और पूरा मूल्य दिलाने के लिए योजना बनेगी

नाबार्ड ने सहकारी संस्थाओं को 3000 हजार करोड़ अंशपूँजी उपलब्ध कराने की सराहना की

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि किसानों को बढ़ते उत्पादन की खपत और उसका पूरा मूल्य दिलाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार शीघ्र ही योजना बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस योजना में नाबार्ड से सहयोग करने को कहा है। श्री कमल नाथ ने मंत्रालय में नाबार्ड के प्रतिनिधि–मंडल से मुलाकात के दौरान यह बात कही। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री सुनील कुमार बंसल ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सहकारी बैंकों और संबंधित संस्थाओं को 3000 करोड़ रूपए की अंशपूँजी देने की घोषणा की सराहना करते हुए कहा कि देश में सहकारिता को मजबूत करने के संबंध में किसी भी प्रदेश का यह पहला प्रयास है। मुख्यमंत्री ने नाबार्ड द्वारा सहकारिता क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने नाबार्ड को किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों में सक्रिय भागीदारी निभाने को कहा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्यानिकी, विशेषकर फूलों की खेती के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएँ हैं। नाबार्ड इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही खाद्य प्र–संस्करण इकाइयों को बढ़ावा दे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बन रहे फूड पार्क में उत्पादित वस्तुओं की बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था में भी सहयोग देने को कहा जिससे किसानों को उनके उत्पादन का सही मूल्य मिल सके। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री सुनील कुमार बंसल ने राज्य सरकार द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की सराहना की। श्री बंसल ने बताया कि राज्य सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में जो कदम उठाए हैं, नाबार्ड उसमें पूरा सहयोग प्रदान करेगा। श्री बंसल ने बताया कि वर्ष 2019–20 में नाबार्ड द्वारा मध्यप्रदेश सरकार के लिए 25 हजार 560 करोड़ रूपए की योजना स्वीकृत की गई है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 5 हजार करोड़ रूपए ज्यादा है और पिछले सात वर्ष के दौरान दस गुना अधिक है। इस वित्तीय सहायता में 10 हजार 800 करोड़ रूपए नाबार्ड सहायतित विभिन्न निधियाँ हैं, जो ग्रामीण अधोसंरचना के विकास पर खर्च की जायेगी। राज्य सरकार के फेडरेशन को 4 हजार करोड़, दीर्घकालीन सिंचाई निधि में 2 हजार 100 करोड़ और डेयरी विकास के लिए 200 करोड़ रूपए दिए जाएंगे।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

जेनिटिकली मोडीफाइड बीज के संबंध में नीतिगत निर्णय ले केन्द्र : मुख्यमंत्री

कृषि का कायाकल्प करने पर मुंबई में मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार समिति की बैठक में संबोधन

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि वह जेनेटिकली मोडीफाइड बीज के संबंध में नीतिगत निर्णय ले, जिससे भारत ऐसी टेक्नालाजी अपनाने में पीछे नहीं रह जाये, जो पूरे विश्व को बदल रही है। इससे भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो जायेगा। उन्होंने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम में सुधार लाने की भी वकालत की, जिससे किसानों के हित में अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने में मदद मिल सके।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने नीति आयोग की भारत के कृषि परिदृश्य के कायाकल्प के लिये गठित मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार समिति की मुम्बई में हुई बैठक में अपने सुझाव दिये। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ उच्चाधिकार समिति के सदस्य हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक मुद्दा भी है। उन्होंने कहा कि किसानों की सोच में बदलाव आया है। धोती पहनने वाले किसान और आज के पेंट–जींस पहनने वाले किसान के नजरिये में फर्क है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के किसान अमेरिका, यूरोपियन यूनियन की व्यवस्थाओं से मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन से हुए समझौतों के चलते किसी भी प्रकार का कृषि आयात किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने किसानों के हित में जैविक खाद्यान्न के संकुलों की पहचान कर इसकी मार्केटिंग करने की जरूरत बताई। श्री नाथ ने सुझाव दिया कि खाद्य प्रसंस्करण की संभावनाओं वाले क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें भरपूर सहयोग देने की आवश्यकता है।

श्री कमल नाथ ने कहा कि किसानों को कीमतों का आकलन कर के कृषि आदान का ब्रांड चुनने की आजादी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों, किसान उत्पादन संगठनों, व्यापारिक सोसायटी और बाजार के बीच परस्पर सामंजस्य और तालमेल बैठाना होगा। उन्होंने कहा कि उपार्जन मॉडल को भी सुधारने की जरूरत है। श्री कमल नाथ ने खेती में यंत्रीकरण को बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में जीआईएस/जीपीएस जैसी आधुनिक तकनीकी के उपयोग से भी लाभ होगा।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने बैठक में मध्यप्रदेश के कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों के उत्पाद संगठनों को लाइसेंस और संचालन संबंधी जरूरतों को शिथिल किया गया है ताकि उन्हें बेहतर दाम मिलें। सिंगल लाइसेंस और मंडियों के बाहर भी खरीदी करने की अनुमति दी गई है। नीलामी के लिये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म स्थापित करने का काम चल रहा है।

राज्य सहकारी संघ परिसर में प्रबंध संचालक श्री रंजन ने ध्वजारोहण किया

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ परिसर में प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहरण किया। प्रबंध संचालक श्री रंजन ने मुख्यालय में पदस्थ अधिकारी–कर्मचारियों को शुभकामनाएं दीं। राज्य सहकारी शिक्षा अधिकारी श्री संजय सिंह तथा मुख्यालय में पदस्थ अधिकारी–कर्मचारी उपस्थित थे।

वन्य-जीव क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ाने की रणनीति के लिए बनेगी राज्य-स्तरीय समिति

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ को सौंपेगी रिपोर्ट 15 सितम्बर तक

भोपाल। प्रदेश में वन्य–जीव क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ाने और संबंधित विषयों पर ठोस रणनीति बनाने के लिए राज्य–स्तरीय समिति बनाई जायेगी। इसमें राष्ट्रीय उद्यानों में संचालित रिसॉर्ट मालिकों, हितग्राहियों, अपर मुख्य सचिव वन, प्रमुख वन संरक्षक–वन्य जीव और प्रमुख सचिव पर्यटन शामिल होंगे। यह समिति मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ को 15 सितम्बर तक अपनी रिपोर्ट देगी।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने यहाँ मंत्रालय में राष्ट्रीय उद्यानों के संचालकों, पर्यटन विशेषज्ञों, वन्य–जीव विशेषज्ञों, रिसॉर्ट मालिकों, वन क्षेत्रों में पर्यटन सेवा संचालित करने वाली संस्थाओं के संचालकों और यात्रा संचालकों की संयुक्त बैठक ली। बैठक में वन्य–जीव पर्यटन, राष्ट्रीय उद्यानों की पर्यटन क्षमता, उपलब्ध पर्यटन सुविधाएँ, जैसे विषयों पर विचार–विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय उद्यानों की एडवांस बुकिंग करने के बाद निरस्त करने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। इससे ब्लेकमार्केटिंग की संभावना बनती है। इसे हतोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उद्यानों में जिम्मेदार और शैक्षणिक पर्यटन बढ़ाने पर जोर देना होगा। राष्ट्रीय उद्यानों के बफर जोन में इको पर्यटन की भरपूर संभावनाएँ हैं। उन्होंने विशेषज्ञों से आग्रह किया कि वे बताये कि किस प्रकार की पर्यटन गतिविधियों से अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे। उन्होंने राष्ट्रीय उद्यानों के प्रवेश द्वारों के आस–पास एटीएम मशीन लगाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने राष्ट्रीय उद्यान संचालकों से कहा कि वे राज्य शासन को भेजे जाने वाले हर प्रस्ताव उन्हें भी भेजे, जिससे उन पर शीघ्र निर्णय लिया जा सके। श्री कमल नाथ ने कहा कि टाइगर स्टेट का दर्जा पुनरू प्राप्त करना गौरव की बात है। इस स्थिति का आर्थिक रूप से फायदा उठाने के लिये जरूरी है कि पर्यटन बढ़ें। उन्होंने विशेषज्ञों से आग्रह किया कि इस विशेष स्थिति की ब्रांडिंग कर पर्यटन को आगे बढ़ाये। इसके साथ आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी और छोटे स्तर पर अधिक रोजगार का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है।

बैठक में पार्क प्रवेश शुल्क, टाइगर सफारी, जिप्सी वाहन और ज्यादा सीटों वाले वाहनों के संचालन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने पचमढ़ी में पर्यटन गतिविधि बढ़ाने और रणनीति बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में वन मंत्री श्री उमंग सिंगार, पर्यटन मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह बघेल, पूर्व मंत्री श्री अजय सिंह, मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती, रिसार्ट संचालक एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस

मंत्री–मण्डल के सदस्यों ने जिलों में किया ध्वजारोहण

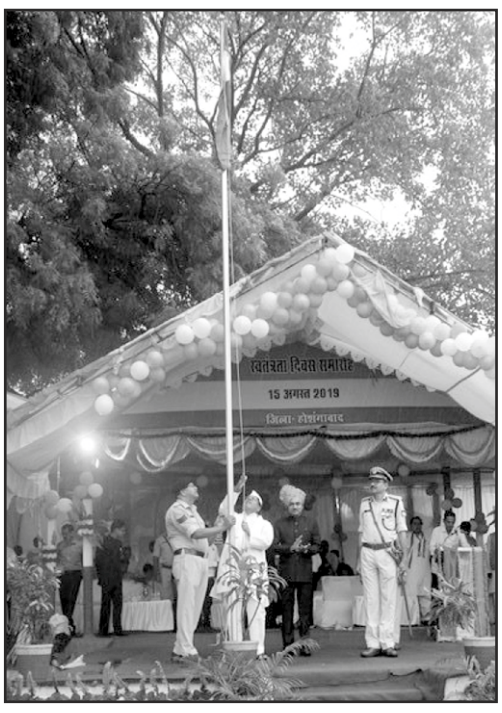

भोपाल। प्रदेश में 73वाँ स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास से मनाया गया। मंत्री–मण्डल के सदस्यों ने जिलों में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री के प्रदेशवासियों के नाम संदेश का वाचन किया। समारोह में परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमों को पुरस्कृत किया। समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। मंत्री–मण्डल के सदस्यों ने स्कूल में विद्यार्थियों के साथ मध्यान्ह भोजन भी किया।

मंत्री–मण्डल के सदस्य डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ खण्डवा, श्री सज्जन सिंह वर्मा देवास, श्री हुकुम सिंह कराड़ा शाजापुर, डॉ. गोविंद सिंह भिण्ड, श्री बाला बच्चन बड़वानी, श्री आरिफ अकील सीहोर, श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर निवाडी, श्री प्रदीप जायसवाल सिवनी, श्री लाखन सिंह यादव ग्वालियर, श्री तुलसीराम सिलावट इंदौर, श्री गोविंद सिंह राजपूत टीकमगढ़, श्री ओमकार सिंह मरकाम डिण्डोरी, डॉ. प्रभुराम चौधरी रायसेन, श्री प्रियव्रत सिंह राजगढ और श्री सुखदेव पांसे ने बैतूल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। श्रीमती इमरती देवी ने दतिया में ध्वजारोहण किया। यहाँ पर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन कलेक्टर ने किया।

मंत्री श्री उमंग सिंघार धार, श्री हर्ष यादव सागर, श्री जयवर्धन सिंह आगर मालवा, श्री जीतू पटवारी उज्जैन, श्री कमलेश्वर पटेल सीधी, श्री लखन घनघोरिया रीवा, श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया गुना, श्री पी.सी. शर्मा होशंगाबाद, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शिवपुरी, श्री सचिन सुभाष यादव खरगोन, श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल झाबुआ और श्री तरूण भनोत जबलपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया।

प्रदेश के 21 जिलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह में कलेक्टर ने ध्वजारोहण किया और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। ये जिले हैं श्योपुर, मुरैना, अशोकनगर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अलीराजपुर, बुरहानपुर, विदिशा, हरदा, दमोह, पन्ना, छतरपुर, कटनी, छिंदवाडा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सिंगरौली, सतना और मण्डला।

केन्द्र सरकार से ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिये 500 करोड़ जारी करने का आग्रह

भोपाल। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि प्रदेश की ग्रामीण पेयजल योजनाओं को पूरा करने के लिये तुरन्त 500 करोड़ की राशि जारी की जाये। श्री पांसे नई दिल्ली में राज्यों के जल मंत्रियों की बैठक में प्रदेश की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहें थे।

प्रदेश के नागरिक ही सरकार की शक्ति : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ

मुख्यमंत्री का प्रदेश के नागरिकों के नाम स्वतंत्रता दिवस पर संदेश

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि प्रदेश के नागरिक ही सरकार की शक्ति हैं। यही शक्ति प्रदेश को गरीबी और बेरोजगारी से मुक्त कर विकसित और ऊर्जावान प्रदेश बनायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार और लोगों के बीच की दूरी कम की जा रही है। हमारा प्रयास है कि लोग स्वयं बदलाव महसूस करें। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों के नाम जारी सन्देश में कम समय में किये गए, ऐतिहासिक निर्णयों और लागू की गयी योजनाओ की चर्चा की। उन्होंने प्रदेश के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएँ दीं।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने प्रदेश के नागरिकों के नाम अपने संदेश में कहा कि 20 लाख से ज्यादा किसानों के डिफाल्टर ऋण माफ़ हो गए हैं। बड़ी संख्या में किसानों ने एक ही जमीन पर कई बैंकों से ऋण ले रखे थे। छानबीन पूरी होने पर उनका भी ऋण माफ़ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रबी 2018–19 में उत्पादित गेहूँ विक्रय पर 160 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि उनके खातों में जमा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों में पूंजी की तरलता बढ़ाने के लिये तीन हजार करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। इसमें से एक हजार करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं। किसानों को आधी दरों पर और गरीबों को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी जा रही है। किसानों के लिए बनाई गई इंदिरा किसान ज्योति योजना में 10 हार्स पावर तक के स्थाई कृषि पंप कनेक्शनों को 1400 की जगह 700 रुपये प्रति हार्स पावर प्रतिवर्ष के फ़्लैट रेट से बिजली दी जा रही है। इसका लाभ 18 लाख किसानों को मिल रहा है।

- राज्य सरकार का गठन 25 दिसम्बर को हुआ। उसके बाद लोकसभा चुनाव और उसकी आचार संहिता के बाद केवल पांच महीने का ही समय काम करने के लिए मिला।
- पिछली सरकार से खाली खजाना मिला था। उसके बावजूद जनता को दिए गए वचन–पत्र में सभी वादों को पांच साल में पूरा करने के लिए संकल्पित हैं।
- मध्यप्रदेश की गणना अभी भी देश में पिछड़े राज्यों में ही होती है।
- मुख्यमंत्री जय किसान ऋण माफी योजना के प्रथम चरण में 20 लाख 10 हजार किसानों के 50 हजार रुपये तक के चालू ऋण और 2 लाख रुपये तक के डिफाल्टर ऋण माफ़ किये गये है।
- ऋण माफी के दौरान प्रथम चरण में छानबीन के दौरान एक आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आया कि बड़ी संख्या में किसानों ने एक ही जमीन पर कई बैंकों से ऋण ले रखा था। इस कारण गहरी छानबीन करनी पड़ी।
- सहकारी बैंकों ने छानबीन पूरी कर ली है जबकि अन्य बैंकों की छानबीन जारी है। योजना के अगले चरण में दो लाख रुपये तक के सहकारी बैंकों के चालू ऋण माफ़ करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने जा रहे हैं। अन्य बैंकों की छानबीन पूरी होने पर उनकी भी ऋण माफी की कार्यवाही आगे की जाएगी।
- रबी 2018–19 में उत्पादित गेहूँ विक्रय पर 160 रुपये प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। जिन किसानों ने घोषित अवधि में मंडियों में अथवा उपार्जन में अपना गेहूं बेचा है, उनके खातों में शीघ्र यह राशि जमा कराई जाएगी।
- सहकारी बैंकों में पूंजी की तरलता बढ़ाने के लिये तीन हजार करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। इसमें से एक हजार करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं।
- निराश्रित गौ–वंश की देख–रेख के लिए सरकार ने प्रदेश में पहली बार एक हजार गौ–शालाओं के निर्माण का कार्य अपने हाथ में लिया है।
- लघु उद्योगों सहित गैर कृषि उपभोक्ताओं को लगभग 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को लगभग 10 घंटे बिजली दी जा रही है। इस वर्ष 5 जनवरी को रिकार्ड 14 हजार मेगावाट बिजली की आपूर्ति की गई। पिछले छह माह में विगत वर्ष की इसी अवधि से लगभग 14 प्रतिशत अधिक बिजली प्रदाय हुआ।

मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री निवास में ध्वजारोहण किया

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मुख्यमंत्री निवास में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहरण किया। सुरक्षा में तैनात 15वीं बटालियन की टुकड़ी ने मुख्यमंत्री को सलामी दी। मुख्यमंत्री श्री नाथ ने सचिवालय में पदस्थ अधिकारी–कर्मचारियों को शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों की सराहना की और उन्हें नगद पुरस्कार देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, मुख्य सुरक्षा अधिकारी श्री अक्षय पाण्डे एवं सचिवालय तथा मुख्यमंत्री निवास में पदस्थ अधिकारी–कर्मचारी उपस्थित थे।

- बिजली के क्षेत्र में आत्म–निर्भर बनने के लिए सतपुड़ा एवं अमरकंटक में 550 मेगावाट की एक–एक इकाई स्थापित की जायेगी। निजी क्षेत्र में भी 2 हजार 640 मेगावाट की उत्पादन इकाइयों की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं।
- किसानों को आधी दरों पर और गरीबों को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने का वचन दिया था। दोनों वचन पूरे किये हैं।
- किसानों के लिए नई योजना **इंदिरा किसान ज्योति योजना** बनाई है। इसके अंतर्गत 10 हार्स पावर तक के स्थाई कृषि पंप कनेक्शनों को 1400 की जगह 700 रुपये प्रति हार्स पावर प्रतिवर्ष के फ़्लैट रेट से बिजली दी जा रही है। इसका लाभ 18 लाख किसानों को मिल रहा है।
- घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इंदिरा गृह ज्योति योजना सरकार ने बनाई है। इसके तहत 62 लाख परिवारों को 100 यूनिट तक बिजली 100 रुपये में दी जा रही है।
- आगामी 5 वर्षों में प्रदेश में 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है। खाली ख़जाना मिलने के बावजूद सिंचाई योजनाओं को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
- मध्यप्रदेश को आवंटित नर्मदा जल का पूरा उपयोग आगामी 5 वर्षों में सुनिश्चित किया जायेगा। गुजरात के साथ नर्मदा जल के बंटवारे में प्रदेश के हितों का पूरा ध्यान रखेंगे।
- प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए भोपाल में निर्माणाधीन ग्लोबल स्किल पार्क में सालाना 4 हजार 800 युवाओं को एडवांस प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- संभागीय मुख्यालयों के आई.टी.आई. को मेगा आई.टी.आई. बनाया जा जा रहा है।
- प्रदेश के अधिकांश बड़े शहरों में कौशल विकास के लिए नए केन्द्र खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण की क्वालिटी पर नजर रखी जा रही है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना : राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रशिक्षण

सहकारिता में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के विक्रताओं हेतु तीन–तीन दिवसीय प्रशिक्षण तृतीय चरण के 1 अगस्त, 2019 से प्रारंभ किये गये हैं। सहकारी क्षेत्र में देश में यह प्रथम प्रयास है। यह प्रशिक्षण सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल, इंदौर, जबलपुर में संचालित हो रहे हैं। प्रशिक्षणों की चित्रमय झलकियाँ।

सत्र क्र. 10 भोपाल

सत्र क्र. 10 भोपाल

सत्र क्र. 13 इंदौर

सत्र क्र. 13 इंदौर

सत्र क्र. 14 इंदौर

सत्र क्र. 14 इंदौर

सत्र क्र. 15 इंदौर

सत्र क्र. 15 इंदौर

कुशल सहकारिता : सफल सहकारिता

भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल के लिए नई दिल्ली में हुआ एम.ओ.यू.

नगरीय विकास मंत्री और केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री की उपस्थिति में हुआ एम.ओ.यू.

भोपाल। भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए नई दिल्ली में भारत सरकार, मध्यप्रदेश सरकार और मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन के बीच एम.ओ.यू. हुआ। केन्द्रीय शहरी और आवास मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह की उपस्थिति में एम.ओ.यू. हुआ। प्रोजेक्ट केन्द्रीय मंत्री–मंडल द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने बताया कि भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में 27.87 किलोमीटर में दो कॉरिडोर बनेंगे। एक कॉरिडोर करोंद सर्कल से एम्स तक 14.99 किलोमीटर और दूसरा भदभदा चौराहे से रत्नागिरि चौराहा तक 12.88 किलोमीटर का होगा। इसकी कुल लागत रूपये 6941 करोड़ 40 लाख होगी।

इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में 31.55 किलोमीटर की रिंग लाइन बनेगी। यह बंगाली चौराहा से विजयनगर, भँवर शाला, एयरपोर्ट होते हुए पलासिया तक जायेगी। इसकी कुल लागत 7500 करोड़ 80 लाख है।

प्रमुख बातें

भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा किया जायेगा। यह कंपनी अब भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार की 50:50 ज्वाइंट वेंचर कंपनी में परिवर्तित होगी। कंपनी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के रूप में कार्य करेगी। कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा। इसमें 10 डायरेक्टर होंगे। भारत सरकार बोर्ड के चेयरमेन सहित 5 डायरेक्टर नामित करेगी। प्रदेश सरकार मैनेजिंग डायरेक्टर सहित 5 डायरेक्टर नामित करेगी।

प्रोजेक्ट में प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण, पुर्नस्थापन और पुनर्वास में आने वाला पूरा खर्च वहन करेगी। भोपाल मेट्रो के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और इंदौर मेट्रो के लिए एशियन डेव्हलपमेंट बैंक तथा न्यू डेव्हलपमेंट बैंक से लोन भी लिया जायेगा। भारत सरकार इक्विटी शेयर केपिटल खरीदेगी, जिससे प्रोजेक्ट के लिये बहुपक्षीय और द्विपक्षीय लोन की सुविधा मिल सके।

प्रोजेक्ट में आने वाली कठिनाइयों के जल्द निराकरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनायी जायेगी। कमेटी में संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव भी शामिल होंगे।

भारत सरकार प्रोजेक्ट के टेक्निकल स्टैण्डर्ड और स्पेसिफिकेशन्स को एप्रूव करेगी। सुरक्षा का सर्टिफिकेट मेट्रो रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर देंगे।

उपभोक्ता को प्रथम 100 यूनिट बिजली 100 रूपये में देने का निर्णय

मंत्रि–परिषद के निर्णय

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रि–परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि इन्दिरा गृह ज्योति योजना में पात्र उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट तक की खपत पर अधिकतम 100 रूपये का बिल दिया जाएगा।

हितग्राही उपभोक्ताओं द्वारा किसी माह में 100 यूनिट से अधिक लेकिन पात्रता यूनिट तक उपयोग की गई खपत पर प्रथम 100 यूनिट के लिए देयक 100 रूपये होगा। इसमें मीटर किराया तथा विद्युत शुल्क भी शामिल होगा। कुल 100 यूनिट तक 100 रूपये तथा इससे अधिक यूनिटों के लिए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में निर्धारित दर के अनुसार बिल देय होगा।

किसी माह में 150 अथवा आनुपातिक पात्रता यूनिट से अधिक खपत होने पर उपभोक्ता को उस माह में योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसकी पूरी खपत पर आयोग द्वारा निर्धारित दरों से बिल देय होगा।

योजना के उक्त समावेशी स्वरूप में लागू होने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही अन्य सभी सब्सिडी समाप्त हो जाएगी। योजना में लगभग एक करोड़ 2 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इससे राज्य शासन पर 2666 करोड़ रूपये कुल वित्तीय भार आएगा।

प्रदेश में साहूकारों द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में आदिवासी वर्ग को अत्यधिक ब्याज दरों पर ऋण देने की प्रवृत्ति एवं उत्पीड़न को रोकने के लिए मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 लागू है। मंत्रि–परिषद ने विनियम के कुछ प्रावधान वर्तमान परिवेश में अप्रासंगिक होने से मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम (संशोधन) अध्यादेश 2019 के लिए स्वीकृति दी है।

मंत्रि–परिषद ने मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त ऐसे सभी मदरसों, जिन्हें भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्य शासन द्वारा अनुशंसा की गई है अथवा की जाएगी, को मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया। इस निर्णय से प्राथमिक स्तर के मदरसों में अध्ययनरत 26 हजार 400 और माध्यमिक स्तर के मदरसों में अध्ययनरत 7850, इस प्रकार कुल 34 हजार 250 विद्यार्थी लाभांवित होंगे और राज्य शासन पर लगभग 10 करोड़ 20 लाख रूपये का व्यय भार आएगा।

मंत्रि–परिषद ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निरस्त दावों के बेहतर परीक्षण के लिए पूरी व्यवस्था कम्प्यूटरीकृत करने के लिए महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार किये गये **वन मित्र** साफ्टवेयर को एकल निविदा के तहत क्रय करने की मंजूरी दी।

मंत्रि–परिषद ने मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के सेवायुक्तों के संबंध में जारी संविलियन योजना की अवधि में 31 दिसम्बर 2019 तक और वृद्धि करने का निर्णय लिया है। योजना की अवधि 30 जून 2019 को समाप्त हो गई थी। शेष बचे सेवायुक्तों के संविलियन के लिए योजना की अवधि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में 374 मीट्रिक टन ई–वेस्ट का निष्पादन

भोपाल। प्रदेश में अब तक करीब 374 मीट्रिक टन ई–वेस्ट का वैज्ञानिक पद्धति से निष्पादन किया गया है। यह कार्य 8 कलेक्शन सेन्टर, एक रिसाईक्लर और एक मैन्युफैक्चर के माध्यम से किया जा रहा है। ई–वेस्ट में कम्प्यूटर्स, लेपटाप, टेलीपीजन सेट, डीवीडी प्लेयर्स, मोबाइल फोन, सीएफएल आदि इलेक्ट्रानिक सामान शामिल हैं।

प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में ई–वेस्ट प्रबंधन नियम लागू है। इस नियम का उद्देश्य इलेक्ट्रानिक्स अपशिष्ट को वैज्ञानिक तकनीक से नष्ट किया जाना है। नियम में प्रत्येक ई–वेस्ट का निष्पादन केवल केन्द्रीय अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकृत रिसाईक्लर्स के माध्यम से ही किये जाने का प्रावधान है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ई–वेस्ट निष्पादन के लिये कार्यशालाओं के माध्यम से नवीन वैज्ञानिक पद्धतियों की जानकारी नियमित रूप से दी जा रही है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन

प्रदेश में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन का कार्य वैज्ञानिक पद्धति से किया जा रहा है। इन अपशिष्टों को 4 श्रेणियों में बाँटा गया है। उनके उपचार की विभिन्न पद्धतियाँ जैसे इन्सीरिनेशन, आटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग रासायनिक उपचार, कटिंग, थ्रेडिंग तथा भूमि में गहरा गाड़ना आदि विकल्प के रूप में हैं।

प्रवेश प्रारंभ प्रवेश प्रारंभ प्रवेश प्रारंभ

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-

डी.सी.ए. मात्र 8100/-

न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए. स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)

(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित

सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल

ई–8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड–462 039

फान.–0755 2725518, 2726160

Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र किला मैंदान, इंदौर

फोन : 0731-2410908, 9926451862

(पृष्ठ 3 का शेष)

मुख्यमंत्री का प्रदेश के नागरिकों के नाम स्वतंत्रता दिवस पर संदेश

- शहरी बेरोजगारों के रोजगार और कौशल विकास के लिये मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना शुरू की गई है।
- प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को 70 प्रतिशत रोजगार प्रदेश के लोगों को ही देना पड़ेगा। इसके लिए सरकार कानून बनाने जा रही है।
- प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिये 18 से 20 अक्टूबर तक इंदौर में **मेग्नीफिशेंट (Magnificent) मध्यप्रदेश** कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
- प्रदेश के सफल उद्योगपतियों को ब्राण्ड एम्बेसेडर बनाया जा रहा है।
- उद्योग सलाहकार परिषद का भी गठन किया जा रहा है।
- सरकार के प्रयासों के परिणाम मिलना शुरु हो गये हैं। सात माह के सीमित समय में प्रदेश में 6 हजार 158 करोड़ रुपये का स्थाई पूँजी निवेश हुआ है। इसी अवधि में 15 हजार 208 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश वाली 7 मेगा औद्योगिक इकाइयों के प्रस्ताव मिले हैं।
- सरकार का लक्ष्य हर जिले में कम से कम एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो। उज्जैन, डिण्डौरी, अलीराजपुर एवं बैतूल जिलों में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा रहे हैं।
- पावरलूम सेक्टर को बढ़ावा देने के लिये विशेष पैकेज लाया जा रहा है।
- बागवानी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना लाई जा रही है।
- गरीब परिवारों के लिए एक रुपए किलो अनाज और नमक की व्यवस्था के लिए 18 जिलों में आधार कार्ड आधारित राशन वितरण व्यवस्था लागू की गई है। अब इन जिलों में हितग्राही किसी भी राशन दुकान से आधार कार्ड के जरिये राशन प्राप्त कर रहे हैं। आगामी समय में यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की जायेगी।
- प्रदेश में असंगठित मजदूरों की मदद के लिए एक नई योजना **नया सवेरा** प्रारंभ की गई है। इस योजना में 6 माह में 63 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को लगभग 6 सौ करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई।
- इस वर्ष दो हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का कार्य विभिन्न चरणों में किया जायेगा।
- पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया जाएगा और उनके अधिकारों में वृद्धि की जाएगी।
- जल संरक्षण और पर्याप्त जल उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में पहली बार जल अधिकार कानून।
- 36 जिलों की 38 नदियाँ चिन्हित। इनके पुनर्जीवन का कार्य आने वाले पांच सालों में किया जाएगा।
- **हमारा गाँव– हमारा पानी** सरकार का अभियान है।
- शहरों में पीने के पानी, स्वच्छता, सीवरेज और कचरा प्रबंधन के साथ लोक परिवहन की सुगम व्यवस्था।
- भोपाल और इन्दौर दोनों शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए मेट्रो रेल का काम शुरू।
- भोपाल और इंदौर के साथ ग्वालियर में मेट्रो–पॉलिटन रीजन की स्थापना का निर्णय।
- भोपाल और इंदौर शहरों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए महत्वाकांक्षी एकीकृत प्रोजेक्ट इंदौर–भोपाल एक्सप्रेस–वे बनेगा। परियोजना में एक्सप्रेस–वे के साथ नये छोटे शहर और औद्योगिक क्लस्टर होंगे।
- परियोजना को पूरा करने के लिए इंदौर–भोपाल एक्सप्रेस–वे डेवलपमेंट अथॉरिटी बनेगी।
- आवास योजनाओं में पात्र भूमिहीन आवेदकों को राज्य सरकार आवास के साथ अपनी तरफ से भूमि के पट्टे भी देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री पट्टा योजना शुरू होगी।
- स्कूल शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष 200 नए हाई स्कूल तथा 200 नए हायर सेकेन्ड्री खोले जाएंगे।
- लगभग 150 हाई–स्कूल एवं 600 हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन बनाये जाएंगे।
- शिक्षा की क्वालिटी के लिये कमजोर परिणाम वाले स्कूलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- छिन्दवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बालाघाट जिले के विद्यार्थियों की सुविधा के लिये छिन्दवाड़ा में युनिवर्सिटी स्थापित।
- आदिवासी क्षेत्र के 42 शासकीय कॉलेजों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारंभ।
- इस वर्ष झाबुआ मॉडल कॉलेज के अलावा खंडवा, बड़वानी, विदिशा, छतरपुर, सिंगरौली, दमोह, गुना तथा राजगढ़ में भी नये मॉडल कॉलेजों की स्थापना होगी।
- आयुष्मान योजना का विस्तार कर राज्य सरकार 45 लाख अतिरिक्त परिवारों का इलाज अपने खर्च पर कराएगी।
- नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए क़ानून बनेगा।
- डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं का विस्तार होगा।
- मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की लगभग 20 प्रतिशत सीटें बढ़ाई गई।
- सतना जिले में नया मेडिकल कॉलेज शीघ्र खोला जाएगा।
- ग्वालियर, जबलपुर और रीवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सेंटर तैयार।
- सभी आदिवासी विकासखंडों में आदिवासी भाइयों के ऊपर साहूकारी ऋण 15 अगस्त से समाप्त। ऐसे किसी ऋण की वसूली अब नहीं हो सकेगी। इसे लागू करने के लिए कलेक्टरों को सख्त निर्देश।
- आदिवासी भाइयों को जरूरत पर बैंकों से 10 हजार रुपये तक की लिमिट स्वीकृत। यह राशि वे अपने रुपे डेबिट कार्ड से कभी भी एटीएम से निकाल सकेंगे। सभी आदिवासी विकासखण्डों के ग्रामीण हाट– बाजारों में बैंक एटीएम स्थापना परियोजना की प्रक्रिया अंतिम चरण में।
- वनाधिकार के खारिज सभी प्रकरणों का पुनरीक्षण होगा। ऑन लाइन (Online) निराकरण की नई व्यवस्था शुरु।
- आदिवासी क्षेत्रों के लिए औषधीय खेती योजना शुरु होगी। आदिवासियों को अपने भूमि पट्टों पर औषधीय खेती के लिये सहायता उपलब्ध करायी जायेगी और पूरे उत्पाद के खरीदने की गारंटी होगी।
- तेंदूपत्ता के भुगतान की राशि 2 हजार रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर ढाई हजार रुपये प्रति मानक बोरा की गई। अन्य वनोपज के लिए भी नई योजना बनाने के निर्देश।
- अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम के ऋणी हितग्राहियों के एक लाख रुपये तक के ऋण माफ करने की प्रक्रिया चालू।
- पिछड़ा वर्ग आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का फैसला। इसके लिए कानून बनाने की प्रक्रिया शुरु।
- पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिये बेहतर शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये संभागीय शहरों में 500 सीटर कन्या छात्रावास बनाए जाएंगे।
- निराश्रितों और दिव्यांगों के लिये पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर पांच साल में एक हजार रुपये करेंगे। प्रथम चरण में वादे के मुताबिक इसे दोगुना 600 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा।
- कन्या विवाह/निकाह योजना की सहायता राशि 28 हजार रुपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपये की गई।
- प्रदेश ने देश में टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल किया है।
- आपकी सरकार–आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें विकासखण्ड मुख्यालयों अथवा बड़े ग्रामों में शिविर लगाकर मौके पर ग्रामीण आबादी की रोजमर्रा की समस्याओं का निराकरण एवं आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है।
- विकास कार्यों को गति देने और जिला स्तर पर अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के लिये **जिला सरकार** व्यवस्था फिर से लागू होगी।
- लोक सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये **जन अधिकार** कार्यक्रम शुरु।
- नायब तहसीलदारों के रिक्त पदों को भरने का काम किया गया ।
- इस साल सभी जिलों के भू–अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध हो जायेंगे।
- खसरा खातों की नकल दरें कम कर उनमें एकरूपता लाई गई है।
- 775 मजरे–टोलों को राजस्व ग्राम बनाया गया।
- अतिथि शिक्षकों/ रोजगार सहायकों/ अन्य संविदा कर्मचारी संगठनों से प्राप्त स्थायीकरण और अन्य समस्याओं पर गम्भीरता से विचार।
- मध्यप्रदेश को मिलावटमुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मिलावट खोरों के विरूद्ध रासुका में कार्रवाई की गई।
- महिला–बाल अपराधों में न्यायालयों से मई 2019 तक गत वर्ष से 9 प्रतिशत अधिक सजा दिलाई गई। अब तक 27 मामलों में अपराधियों को मृत्युदण्ड की सजा सुनाई गई।
- महिला सुरक्षा के लिये पृथक से रानी दुर्गावती महिला बटालियन एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाएगी।
- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वाँ जन्म पर जिला मुख्यालयों में 14 से 19 नवम्बर तक सांस्कृतिक गतिविधियाँ होंगी।
- गुरुनानक देव जी का 550वाँ प्रकाश पर्व भी बड़े स्तर पर मनाया जाएगा।
- सरकार और लोगों के बीच की दूरी कम की जाएगी।
- सरकार की मंशा है कि लोग बदलाव स्वयं महसूस करें।
- सरकार का एजेण्डा; वचन–पत्र के सभी बिन्दुओं पर हर हाल में अगले पाँच साल में अमल होगा।
- प्रदेश के लोग सरकार की शक्ति है। यही शक्ति प्रदेश को गरीबी और बेरोजगारी से मुक्त कर विकसित और ऊर्जावान प्रदेश बनायेगी।

(पृष्ठ 1 का शेष)

किसानों को बढ़ते उत्पादन की खपत और पूरा मूल्य दिलाने के लिए योजना बनेगी

साथ ही किसानों को फसली ऋण के लिए सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं को 10 हजार 700 करोड़ रूपए पुनर्वित्त के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में किसान उत्पादक संघ, आदिवासी क्षेत्रों में बगीचा, वॉटर शेड, बुनकरों के लिए क्लस्टर निर्माण और इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक तथा एसबीआई के बीच नाबार्ड द्वारा करार किया गया है।

सहकारी बैंकों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वे भुगतान की नई तकनीक से जुड़ सकें।

श्री बंसल ने बताया कि ग्रामीण कारीगरों और महिला स्व–सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। नाबार्ड ग्रामीण कारीगरों और महिला स्व–सहायता समूह द्वारा तैयार वस्तुओं की मार्केटिंग के लिए शीघ्र ही भोपाल हाट में उमंग–2019 का आयोजन करेगी। इसमें मध्यप्रदेश सहित देश के 31 राज्य के स्व–सहायता समूह और ग्रामीण कारीगर शामिल होंगे।

उन्होंने मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में आमन्त्रित किया। प्रतिनिधि मंडल में नाबार्ड के महाप्रबंधक टी.एस. चौहान, डॉ. के. अर्धनारेश्वरम् एवं उप महा प्रबंधक श्री गौतम सिंह शामिल थे।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना : राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रशिक्षण

सहकारिता में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के विक्रताओं हेतु तीन–तीन दिवसीय प्रशिक्षण तृतीय चरण के 1 अगस्त, 2019 से प्रारंभ किये गये हैं। सहकारी क्षेत्र में देश में यह प्रथम प्रयास है। यह प्रशिक्षण सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल, इंदौर, जबलपुर में संचालित हो रहे हैं। प्रशिक्षणों की चित्रमय झलकियाँ।

सत्र क्र. 13 जबलपुर

सत्र क्र. 13 जबलपुर

सत्र क्र. 14 जबलपुर

सत्र क्र. 14 जबलपुर

सत्र क्र. 15 जबलपुर

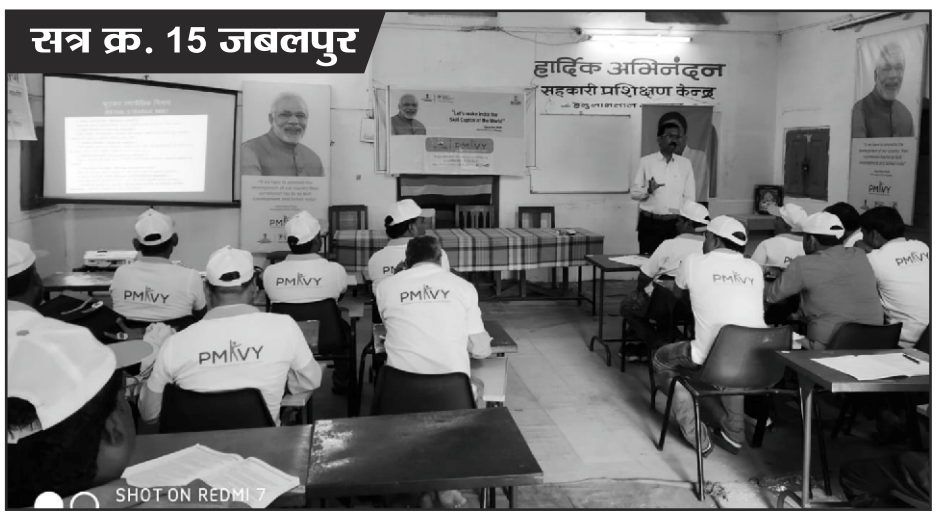

सत्र क्र. 15 जबलपुर

सत्र क्र. 16 जबलपुर

सत्र क्र. 16 इंदौर

कुशल सहकारिता : सफल सहकारिता

स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

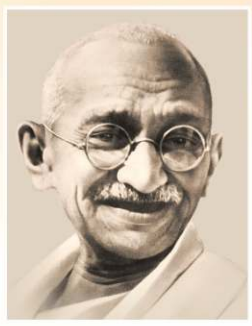

सर्वोच्च कोटि की स्वतंत्रता के साथ सर्वोच्च कोटि का अनुशासन और विनय होता है। अनुशासन और विनय से मिलने वाली स्वतंत्रता को कोई छीन नहीं सकता है।

– महात्मा गांधी

भारत की सेवा का मतलब लाखों पीड़ित लोगों की सेवा करना है, इसका मतलब गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसरों की असमानता को समाप्त करना है .... जब तक पीड़ितों के आँसू खत्म नहीं हो जाते, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा।

– पं. जवाहर लाल नेहरू

''स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम देश के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग एवं बलिदान का स्मरण कर उन्हें शत्–शत् नमन करते हैं। आइये सब मिलकर संकल्प लें कि हम प्रदेश के एक–एक व्यक्ति को खुशहाल बनाकर एक नया मध्यप्रदेश बनायेंगे।''

कमल नाथ

मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

D-17001/19

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : मध्यप्रदेश माध्यम/2019

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।